राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक 11–07–2025

–: प्रेस नोट :–

आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकरणों (आवेदन–पत्रों में रही त्रुटि यथा नाम/पिता का नाम/आयु/पता/वर्ग/विषय/post preference परिवर्तन इत्यादि) में माननीय न्यायालय की शरण ली जाती थी जिसमें आयोग को भी पक्षकार बनाया जाता था जिससे अभ्यर्थियों एवं आयोग का अमूल्य समय एवं धन खर्च हो रहा था तथा न्यायालयों में ऐसे छोटे–छोटे मामलों को लेकर मुकदमों का अम्बार लग रहा था। आयोग द्वारा बढते वादकरण को कम करने के लिए आयोग स्तर पर **दिनांक 01.03.2019 को** प्री–लिटिगेशन कमेटी के गठन के उपरांत अब तक कुल **30 बैठकें** आयोजित हो चुकी हैं जिसमें कुल **551** प्रकरण निस्तारित किये जा चुके हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक **11–07–2025** को प्री–लिटिगेशन समिति की 31वीं बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता आयोग के माननीय सदस्य, प्री–लिटिगेशन समिति के अध्यक्ष **लेफ्टिनेट कर्नल(सेवानिवृत) श्री केसरी सिंह** द्वारा की गई। बैठक में आयोग के सचिव श्री रामनिवास मेहता, संयुक्त सचिव सुश्री ऋषिबाला श्रीमाली, संयुक्त विधि परामर्शी श्री राकेश ओझा एवं उपसचिव श्रीमती मीरा वतवानी उपस्थित रहे।

प्री–लिटिगेशन समिति द्वारा कुल **06** प्रकरणों पर विचार कर निस्तारित किया गया।

(ऋषिबाला श्रीमाली)
सचिव एवं सदस्य सचिव
प्री–लिटिगेशन समिति